डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला [illegible]
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान [illegible]

मि0न0 – 58/2025

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील [illegible]
2. रामस्वरूप पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील [illegible]

:–वादीगण

बनाम

1. धर्माराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. भातीदेवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. कमला पुत्री धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :–**प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रीटा चौधरी व वकील प्रतिवादीगण श्री वीरेन्द्र झोरड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 130/121 के मु0 न0 5 के किला न0 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 60 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, मु0 न0 61 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3 कुल रकबा 9.8670है0 जिसमें नहरी 9.5490है0, गै0 मु0 रास्ता 0.168है0, गै0 मु0 खाला 0.150है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 जगदीश व वादीगण सं0 2 रामस्वरूप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 8 एसडीआर के खाता सं0 136/88 के मु0 न0 61 के किला न0 1, 2/2, 9/2, 10, मु0 न0 62 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 कुल रकबा 3.2880है0, जिसमें नहरी 3.2380है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 जगदीश, वादीगण सं0 2 रामस्वरूप को 0.1915है0–0.1915है0 के हिस्सा अनुसार व प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम को 0.713है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:19:06 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 58/2025

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. रामस्वरूप पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

:–**वादीगण**

बनाम

1. धर्माराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. भातीदेवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. कमला पुत्री धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री धर्माराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :–**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रीटा चौधरी **वादी**
श्री विरेन्द्र जाखड प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 130/121 के मु0 न0 5 के किला न0 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 60 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, मु0 न0 61 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3 कुल रकबा 9.8670है0 जिसमें नहरी 9.5490है0, गै0 मु0 रास्ता 0.168है0, गै0 मु0 खाला 0.150है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 एसडीआर के खाता सं0 136/88 के मु0 न0 61 के किला न0 1, 2/2, 9/2, 10, मु0 न0 62 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 कुल रकबा 3.2880है0, जिसमें नहरी 3.2380है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:19:06 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 5 एसडीआर व 8 एसडीआर वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 130/121 के मु0 न0 5 के किला न0 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 60 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, मु0 न0 61 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3 कुल रकबा 9.8670है0 जिसमें नहरी 9.5490है0, गै0 मु0 रास्ता 0.168है0, गै0 मु0 खाला 0.150है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 एसडीआर के खाता सं0 136/88 के मु0 न0 61 के किला न0 1, 2/2, 9/2, 10, मु0 न0 62 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 कुल रकबा 3.2880है0, जिसमें नहरी 3.2380है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 130/121 के मु0 न0 5 के किला न0 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 60 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, मु0 न0 61 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3 कुल रकबा 9.8670है0 जिसमें नहरी 9.5490है0, गै0 मु0 रास्ता 0.168है0, गै0 मु0 खाला 0.150है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 जगदीश व वादीगण सं0 2 रामस्वरूप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 8 एसडीआर के खाता सं0 136/88 के मु0 न0 61 के किला न0 1, 2/2, 9/2, 10, मु0 न0 62 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 कुल रकबा 3.2880है0, जिसमें नहरी 3.2380है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 जगदीश, वादीगण सं0 2 रामस्वरूप को 0.1915है0–0.1915है0 के हिस्सा अनुसार व प्रतिवादी सं0 1 धर्माराम को 0.713है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि [illegible] रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर [illegible] किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:19:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner